भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2058
मंगलवार, 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सूरत में ग्रामीण जलापूर्ति संबंधी कार्यों में पीएसीएस की भूमिका

#2058. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा विशेषकर सूरत जिले में ग्रामीण जलापूर्ति संबंधी कार्यों में पीएसीएस की भूमिका के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस पहल के सफल कार्यान्वयन में राज्य की कोई भूमिका है और यदि हां, तो संबंधित राज्यों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएसीएस के लिए बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण परिवारों और लोगों को इस योजना से किस प्रकार लाभ मिल रहा है और यह पहल जल जीवन मिशन के साथ किस प्रकार सहयोग कर रही है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हां, मान्यवर । सहकारिता मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के परामर्श से पैक्स को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (JJM) के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन और रख-रखाव (O&M) का कार्य करने की अनुमति देने की पहल की है ।

इस पहल का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करता है क्योंकि राज्यों को अपनी संचालन और रखरखाव (O&M) नीतियों/दिशानिर्देशों में सक्षम प्रावधान शामिल करने और उपयुक्त पीएसीएस की पहचान करने और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के तहत ओ एंड एम कार्य करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

गुजरात राज्य ने अपनी प्रचालन और रख-रखाव (O&M) दिशानिर्देशों का आशोधन कर लिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन और रख-रखाव (O&M) का कार्य करने के लिए कुल 81 पैक्स की पहचान की गई है, जिसमें सूरत जिले का एक पैक्स शामिल है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त

सूचना के अनुसार इस पहल से संबंधित राज्य-वार ब्योरा **अनुबंध** में संलग्न है । इसके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में एक पायलट परियोजना आरंभ की गई है जिसके तहत एक पैक्स को कमीशन के आधार पर ग्राम पंचायत की ओर से जल कर एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(ग): पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (JJM) के तहत, राज्यों को वार्षिक आवंटन का पांच प्रतिशत सहायता गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है और राज्यों को आवंटन का 2% जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी समिति के रूप में कार्य करने वाले पैक्स को भी इसका लाभ मिल सकता है।

(घ): इस पहल का उद्देश्य पैक्स आधारित प्रचालन और रख-रखाव (O&M) कार्यकलापों के माध्यम से बेहतर नल जलापूर्ति सेवाएं प्रदान करना, प्रचालनात्मक अवरोधों को घटाना और जल उपलब्धता में वृद्धि द्वारा ग्रामीण घरों को लाभान्वित करना है । यह प्रयास ग्रामीण घरों को संवहनीय और प्रभावशाली जल सेवा डिलीवरी सुनिश्चित करके जल जीवन मिशन का अनुसमर्थन करता है ।

*****

अनुलग्नक

ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना के अधीन चिह्नित पैक्स- राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	O&M सेवाओं के लिए चिह्नित पैक्स
1	झारखंड	145
2	त्रिपुरा	140
3	मणिपुर	113
4	सिक्किम	107
5	जम्मू और कश्मीर	100
6	पंजाब	98
7	गुजरात	81
8	उत्तराखंड	60
9	छत्तीसगढ	33
10	मध्य प्रदेश	26
11	महाराष्ट्र	20
12	असम	10
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
	कुल	**934**